

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय / 2016

जयपुर, दिनांक

3 OCT 2016

आज्ञा:

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के समुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	दिशा फौजदार कनिष्ठ विधि अधिकारी	वित्त (कर) विभाग में पंजीयन एवं मुद्रांक प्रकोष्ठ सचिवालय, जयपुर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2015 के साक्षात्कार हेतु।
2.	विकास चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2015 के साक्षात्कार हेतु।
3.	पन्ना लाल झाडोला कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्टरेट कार्यालय राजसमंद	1. सहायक अभियोजन अधिकारी 2015 के साक्षात्कार हेतु। 2. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा

शर्तः-

- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

-है-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

अवगम्य 03.10.16
संयुक्त शासन सचिव